न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 38/2019/अपील

1. कमलेश दत्तक पुत्र मुकन्दाराम जरिए मुख्त्यार सरस्वती देवी धर्मपत्नि कमलेश जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा (हरदयालपुरा) तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.
2. शिशपाल पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा (हरदयालपुरा) तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. मन्शाराम पुत्र गीगाराम
2. भगवानाराम पुत्र गीगाराम
3. नोपाराम पुत्र गीगाराम
4. गिरधारी पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट निवासीगण गोविन्दपुरा (हरदयालपुरा) तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट संख्या 2 की ओर से।
2. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के आदेश दिनांक 24.10.2019 प्रकरण संख्या 20/2019 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट बउनवानी शिशपाल बनाम मन्शाराम आदि

निर्णय

दिनांकः 04 सितम्बर, 2025

1. अपीलांट **कमलेश आदि** की ओर से यह अपील वकील **श्री सागरमल धायल** द्वारा **तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की पत्रावली संख्या 20/2019 शिशपाल बनाम मन्शाराम आदि अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2019** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैंः–
   (1) अपीलांट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 भूमि खसरा नम्बर 6 के खातेदार काश्तकार हैं

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

व बाह्मी बंटवारे में भूमि खसरा नम्बर 6 अपीलांट संख्या 1 के आयी हुई है व सन् 2010 से अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 6 में अपनी आवासीय गुवाड़ी बना रखी है व खेत में ट्यूबवैल बनाकर विद्युत संबंध ले रखा है तथा आवासीय मकानों में भी घरेलू विद्युत संबंध ले रखा है। अपीलांट की भूमि में विद्युत विभाग के दो टांसफार्मर भी लगे हुए है। अपीलांट की भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 5 स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में है एवं बाह्मी बंटवारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मन्शाराम के आया हुआ है। मन्शाराम ने भी खसरा नम्बर 5 में अपनी आवासीय गुवाड़ी बना रखी है। ग्राम गोविन्दपुरा की आबादी से चलकर करीब 15 फिट चौड़ाई का एक कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 32 से होकर खसरा नम्बर 10 के पश्चिमी तरफ से खसर नम्बर 11 की पश्चिमी सींव के सहारे से होकर खसरा नम्बर 5 में प्रवेश करता है व आगे सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 6 में प्रवेश कर जाता है व अपीलांट की भूमि व आवासीय मकानो में चला जाता है। उक्त रास्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों पुराना गत खसरा नम्बर 2 था जो तरमीम होकर 2/1 व 2/2 राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ। मन्शाराम रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 5 से गुजरने वाले रास्ते को मौके पर अवरोध पैदा कर बंद कर दिया। जिस पर अपीलांट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अवरोध हटाने बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय ने तलब किया, जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये व खण्डनात्मक जबाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट मांगी। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 08.08.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की व रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया कि **"एनएच 11 से खसरा नम्बर 5 तक पहुंचने का रास्ता खसरा नम्बर 32 व 11 में चालू है, तथा खसरा नम्बर 5 में आगे रास्ता बन्द किया हुआ है।"** अर्थात् रास्ता मौके पर मौजूद होने व बन्द किए जाने की रिपोर्ट पत्रावली पर होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1 जो अपीलांट की खातेदारी का खेत है वह एनएच पर स्थित होना व अपीलांट सहकृषक होना व रास्ता लगना मानकर यह बताते हुए कि पूर्व से रास्ता लग रहा हो तो अन्य रास्ते की मांग नही की जा सकती व प्रार्थी को रास्ता पाने का अधिकारी न मानकर अपीलांट संख्या 2 का आवेदन अपने निर्णय दिनांक 24.10.2019 के द्वारा खारिज फरमा दिया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(2) अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स एक ही पूर्वज हुक्मा की संतान हैं, जिनकी भूमियां पूर्व में शामलाती खातेदारी की रही हैं। विवादित भूमि खसरा नम्बर 5 व 6 का गत खसरा नम्बर 2 रहा है जिसके तरमीम खसरा नम्बर 2/2 गोपाल पुत्र गीगा के नाम हो गया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 का बडा भाई था, तथा 2/1 सादा पुत्र हुक्मा के नाम हो गया, जिनके अपीलांट वारिस हैं। खसरा नम्बर 1 व 2 पूर्व में शामलाती थे। अपीलांट के भूमि हिस्से में खसरा नम्बर 1 व 2 की उत्तरी तरफ की भूमि आयी व गत खसरा नम्बर 2 की दक्षिणी तरफ की भूमि रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आयी है। हाल द्वितीय पैमाइस में खातेदारी कब्जे के अनुसार गत खसरा नम्बर 2/2 से बने नये खसरा नम्बर 5 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज हुई है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का आवागमन का रास्ता हमेशा से ही भूमि खसरा नम्बर 32 से होकर खसरा नम्बर 10 के पश्चिमी तरफ से होकर खसरा नम्बर 11 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होकर 15 फिट रास्ता निरन्तर व निर्बाध रूप से हर मौसम में चालू रहा है जो खसरा नम्बर 5 में प्रवेश कर खसरा नम्बर 5 की पूर्वी सींव के सहारे होकर खसरा नम्बर 6 में प्रवेश कर अपीलांट की भूमि में चला जाता है। यह रास्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के समय से ही निरंतर निर्बाध रूप से चला आ रहा है, जिसके अपीलांट को सुखाधिकार प्राप्त है व उक्त रास्ते को बन्द करने का रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है।

(3) अपीलांट संख्या 1 व 2 ने आपस में बाह्मी बंटवारा कर रखा है व बाह्मी बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नम्बर 6 अपीलांट संख्या 1 के बंटवारे में आया है। अपीलांट संख्या 1 ने अर्सा 10 वर्ष से उक्त भूमि में पूर्व देखते आवासीय मकान गुवाड़ी बना रखी है व खसरा नम्बर 1 को पीठ दे रखी है। सिंचाई हेतु ट्यूबवैल बनाकर विधुत संबंध ले रखा है तथा आवासीय मकानो में घरेलू विद्युत संबंध ले रखा है। भूमि खसरा नम्बर 1 व 6 का धरातल काफी ऊंचा–नीचा है व खसरा नम्बर 1 से होकर खसरा नम्बर 6 में आवागमन टीलों की उंचाई से सम्भव व सुविधाजनक कतई नहीं है न कभी खसरा नम्बर 1 से होकर खसरा नम्बर 6 में आवागमन पूर्व में रहा है। अपीलांट का आवागमन ग्राम से चलकर खसरा नम्बर 32, 11 से होकर रहा है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी भली भांति प्रमाणित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(4) पूर्व में खसरा नम्बर 10 व 11 के खातेदार ओंकार, महेश आदि ने विवादित रास्ते को खसरा नम्बर 11 में अवरोध पैदा कर बन्द कर दिया था। जिस पर अपीलांट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मन्शाराम ने दिनांक 01.12.2015 को रास्ता बन्द कर दिया जिसे आवेदन हटाने बाबत प्रस्तुत किया व उक्त आवेदन में स्पष्ट अंकन किया कि खसरा नम्बर 1, 2 व 5 का रास्ता बन्द कर दिया है जिससे कमलेश दतक पुत्र मुकन्दाराम जो वर्तमान में विदेश रहता है जिसको खेत व बनी बनी ढाणी में बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे है व मन्शाराम का मकानों का कार्य निर्माणाधीन चल रहा है जो बाधित हो रहा है व खसरा नम्बर 2 में विधायक कोटे से ट्यूबवैल बना हुआ है जो वर्तमान में खराब है जिसे ठीक करवाने के लिए रास्ता बाधित होने के कारण उक्त ट्यूबवैल को ठीक नहीं करवा सकते। उक्त शिकायत के बाद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खसरा नम्बर 10, 11 के खातेदारान ओंकार आदि से दिनांक 19.12.2015 को आपसी सहमति से समझौता हो गया व खसरा नम्बर 10, 11 की पश्चिमी ओर से 15 फिट रास्ता खसरा नम्बर 5 की उतरी सीमा तक 15 फिट रास्ता पूर्वत बिना बाधा के चालू रहने की आपसी सहमति बनी व उस सहमति पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मन्शाराम ने भी अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त आवेदन व सहमति पत्र पत्रावली पर मौजूद होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किए बिना ही अपनी आज्ञा जेर अपील पारित की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा में भी अंकित किया है कि **"प्रार्थी पूर्व में कभी खसरा नम्बर 5 से आने जाने का उपयोग करता रहा होगा एवं उनके बीच आपसी सहमति भी रही होगी एवं आपसी भाईचारे को निभाते हुए प्रार्थी को खसरा नम्बर 5 में से आने जाने ही दिया हो।"** अधीनस्थ न्यायालय ने प्रचलित रास्ते को अन्य रास्ता मौजूद होने का आधार मानकर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(6) भूमि खसरा नम्बर 6 का खातेदार काबिज काश्तकार कमलेश विदेश मजदूरी पर गया हुआ है व अपीलांट संख्या 1 उसकी धर्मपत्नि व मुख्तयार है, अपीलांट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रही, आज्ञा जेर अपील से अपीलांट संख्या 1 भी प्रभावित व्यक्ति है। जिन्हे आज्ञा जेर अपील को चुनौती दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट संख्या 1 के अधिकारों की रक्षा के लिए एवं सही निर्णय

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

व न्याय के लिए अपीलांट संख्या 1 को अपील की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इजाजत हेतु आवेदन धारा 96 सीपींसी अपील के साथ प्रस्तुत है।

(7) अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से वकील श्री नसीर अहमद खान उपस्थित हुए।

4. बहस के लिए अपीलांट संख्या 1 को समुचित अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए न ही उनकी ओर से उनके प्लीडर हाजिर आये। अतः अपील अपीलांट संख्या 1 की हद तक अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। अपीलांट संख्या 2 शीशपाल की ओर से वकील श्री सुरेश कुमावत हाजिर आये।

5. हमने अपीलांट संख्या 2 एवं रेस्पो. संख्या 1 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

वकील अपीलांट संख्या 2 ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अपीलांट संख्या 1 व 2 भूमि खसरा नम्बर 6 के खातेदार काश्तकार हैं व बाह्मी बंटवारे में भूमि खसरा नम्बर 6 अपीलांट संख्या 1 के आयी हुई है व सन् 2010 से अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 6 में अपनी आवासीय गुवाड़ी बना रखी है व खेत में ट्यूबवैल बनाकर विद्युत संबंध ले रखा है तथा आवासीय मकानों में भी घरेलू विद्युत संबंध ले रखा है। अपीलांट की भूमि में विद्युत विभाग के दो टांसफार्मर भी लगे हुए है। अपीलांट की भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 5 स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में है एवं बाह्मी बंटवारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मन्शाराम के आया हुआ है। मन्शाराम ने भी खसरा नम्बर 5 में अपनी आवासीय गुवाड़ी बना रखी है। ग्राम गोविन्दपुरा की आबादी से चलकर करीब 15 फिट चौड़ाई का एक कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 32 से होकर खसरा नम्बर 10 के पश्चिमी तरफ से खसर नम्बर 11 की पश्चिमी

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

सींव के सहारे से होकर खसरा नम्बर 5 में प्रवेश करता है व आगे सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 6 में प्रवेश कर जाता है व अपीलांट की भूमि व आवासीय मकानो में चला जाता है। उक्त रास्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों पुराना गत खसरा नम्बर 2 था जो तरमीम होकर 2/1 व 2/2 राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ। मन्शाराम ने भूमि खसरा नम्बर 5 से गुजरने वाले रास्ते को मौके पर अवरोध पैदा कर बंद कर दिया। जिस पर अपीलांट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अवरोध हटाने बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय ने तलब किया, जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये व खण्डनात्मक जबाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट मांगी। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 08.08.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की व रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया कि **"एनएच 11 से खसरा नम्बर 5 तक पहुंचने का रास्ता खसरा नम्बर 32 व 11 में चालू है, तथा खसरा नम्बर 5 में आगे रास्ता बन्द किया हुआ है।"** अर्थात् रास्ता मौके पर मौजूद होने व बन्द किए जाने की रिपोर्ट पत्रावली पर होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1 जो अपीलांट की खातेदारी का खेत है वह एनएच पर स्थित होना व अपीलांट सहकृषक होना व रास्ता लगना मानकर यह बताते हुए कि पूर्व से रास्ता लग रहा हो तो अन्य रास्ते की मांग नही की जा सकती व प्रार्थी को रास्ता पाने का अधिकारी न मानकर अपीलांट संख्या 2 का आवेदन अपने निर्णय दिनांक 24.10.2019 के द्वारा खारिज फरमा दिया। अतः अपीलांट संख्या 2 की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 24.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पो. ने दौराने बहस कथन किया कि, अपीलांट ने स्वयं अपनी अपील में कथन अंकित किये हैं कि आपसी बाह्मी बंटवारी में भूमि खसरा नम्बर 6 अपीलांट संख्या 1 के हिस्से में आयी है। अपीलांट द्वारा जिस विवादित कदीमी रास्ते बाबत प्रकरण अपीलीय न्यायालय में लेकर आये हैं, वह कदीमी रास्ता भूमि खसरा नम्बर 6 में जाना बताया गया है। अपीलांट संख्या 2 के हिस्से में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 1 NH-11 से सटती हुई भूमि है। जब अपीलांट संख्या 2 की भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में पहुंच मार्ग स्थित है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट संख्या 2 अन्य रास्ते की मांग नहीं कर सकता एवं यह सुखाचार की श्रेणी में नहीं आता है। चूंकि यह प्रकरण अपील अपीलांट संख्या 1 की हद तक पहले ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट संख्या 2 खारिज फरमायी जावे।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

6. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

   - यह अपील अपीलांट संख्या 1 की हद तक अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है।

   - अपीलांट के कथनों से स्पष्ट है कि पारिवारिक आपसी बाह्मी बंटवारी में भूमि खसरा नम्बर 6 अपीलांट संख्या संख्या 1 के हिस्से में आयी है तथा भूमि खसरा नम्बर 1 अपीलांट संख्या 2 के हक हिस्से में है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रशासन गांवों के संग अभियान में खातेदारों की आपसी सहमति द्वारा करवाये गये बंटवारे की प्रति भी प्रस्तुत की है।

   - राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि बाह्मी बंटवारे के अनुसार अपीलांट संख्या 2 के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से सटती हुई भूमि है।

   - जब अपीलांट संख्या 2 की भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में पहुंच मार्ग स्थित है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट संख्या 2 अन्य रास्ते की मांग नहीं कर सकता एवं यह सुखाचार की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का निर्णय दिनांक 24.10.2019 यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक **04 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर